



न्यायालय भूमि सुधार समाहर्ता, सिमडेगा  
अनुमति वाद संख्या 133/2017-18  
श्री डेविड डुगडुग ..... आवेदक।

बनाम

झारखण्ड सरकार ..... विपक्षी।

### आदेश

आवेदक श्री डेविड डुगडुग पिता रव0 इनासियूस डुगडुग, ग्रम-सलडेगा मोदी ठोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा ने निम्नांकित भूमि को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र दायर किये हैं।

#### भूमि विवरण:-

मौजा	थाना	थाना न0	खाता न0	प्लाट न0	रकबा
सलडेगा	सिमडेगा	117	47	1170	0.15 ए0 ( 2.43 ए0 मे से )

कुल रकबा (शब्दो मे) पन्द्रह डीसमील मात्र।

आवेदक का अपनी खतियानी जमीन को मकान बनाने हेतु केता श्री मनसोद समद् पिता रव0 जुल समद, ग्राम-जोकवहार, थाना- सिमडेगा, जिला सिमडेगा जाति मुण्डा को विकी कर रहे हैं। यदि कोई आपत्ति हो तो मौजा सलडेगा, थाना- सिमडेगा, जिला- मनडेगा के आम जनता एवं अंचल अधिकारी सिमडेगा जिला सिमडेगा को आम सूचना दी गई हो। आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के पत्राक 125 दिनांक 12.10.2017 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन एवं आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है, जो अभिलेख मे संलग्न है। प्रस्तावित भूमि आवेदक का खतियानी भूमि है, उक्त भूमि के खतियानी रेयत पल्हो खडियाईन जोजे लोदर खडिया के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि के वर्तमान जमावदीदार खाता संख्या 47 इन्स खडिया खडिया के नाम से दर्ज है। लगान आवेदक श्री डेविड डुगडुग के द्वारा दिया जाता है। विकेता एवं वगो के नाम से दर्ज हैं। लगान आवेदक श्री डेविड डुगडुग के पास 4-60 एकड़ भूमि बचता है।

भूमि स्वामित्व से संबंधित कागजात खतियान एवं लगान रसीद की छाया प्रति एवं केता की ओर से अनुमण्डल पदाधिकारी सिमडेगा द्वारा निर्गत स्थानीय निवास प्रमाण पत्र की संख्या जे0एच0आर0सी0/2017/442605 दिनांक 03/05/2017 की छाया प्रति प्रस्तुत है। तथा विकी की जाने वाली जमीन की चौहदी भी प्रस्तुत, जो अभिलेख मे संलग्न है।



.....  
.....  
.....



आवेदक अपने बयान में कहा है कि मैं मीजा सलडेगा थाना न0 117 थाना-सिमडेगा के अन्तर्गत खाता न0 47 प्लॉट संख्या 1170 रकमा 243 ए0 में मैं 0.15 एकड़ जमीन को मकान बनाने हेतु केता श्री मनसीद समद, पिता रखो जुएल समद, ग्राम-जोकबहार थाना-सिमडेगा, जिला सिमडेगा को मो0 8,64,810 रु0 (शब्दों में) आठ लाख चौसठ हजार आठ से दस रुपये मात्र मेरे अपने खुशी-राजी से विकी कर रहा है। उक्त जमीन विकी करने के बाद मेरे पास 4.60 एकड़ जमीन शेष बचती है।

अंचल अधिकारी सिमडेगा के जाँच प्रतिवेदन एव आवेदक के बयान के आधार पर  
मौजा सलडेगा थाना नो 117 थाना सिमडेगा के अन्तर्गत खाला नो 47 प्लाट नो 1170 रकवा  
0.15 एकड़ जमीन को आवेदक श्री डेविड डुगडुंग पिता स्व० इनासियूस डुगडुंग, ग्राम-सलडेगा  
मोदी टोली, थाना- सिमडेगा, जिला-सिमडेगा द्वारा केता श्री मनसीद समद, पिता स्व० जुएल  
समद, ग्राम-जोकबहार थाना- सिमडेगा, जिला सिमडेगा को स्थानीय बाजार दर के अनुसार  
छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत विकी करने की *Get Not*  
दी जाती है।

लेखापित एवं साशोधित ।

भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिम्बेगा ।



भूमि सुधार उप समाहर्ता  
सिमडेगान

पुनर्शः तालिका तीन प्रति में तैयार करें। मूल प्रति आवेदक को तथा एक प्रति ज़िला निवधन पदाधिकारी स्थिमडेगा को भेजें।

भूमि सुधार उप समाहता  
सिमडगा।

पृथ्वी लिपिक



  
Dr. Sharaf  
05/10/12